आर टी आई मामला/समयबद्ध

फा. सं. II-18015/73/2013-एन एम.III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(नक्सल-प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 26 दिसम्बर, 2013

सेवा में

श्री सत्य नारायण प्रसाद
1, जय भारत एन्क्लेव
गली नं. 2, साहिबाबाद
गाजियाबाद

विषय: **आपके दिनांक 12.11.2013 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।**

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 12.11.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 11.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2013-आर टी आई का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त आवेदन के तहत मांगी गई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, आपके आवेदन की प्रतियां इस मंत्रालय के अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को भेजी जा रही हैं ताकि उपलब्ध सूचना मुहैया कराई जा सके।

3. उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है तथा इस सूचना के संबंध में अपील श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-एन, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जा सकती है।

(रामबीर सिंह)
निदेशक (नक्सल-प्रबंधन) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री दलजीत सिंह चौधरी, निदेशक (ए एन ओ-I) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.11.2013 के आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (1) से (6) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
2. श्री रमेश कुमार सुमन, निदेशक (आई एस-II) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.11.2013 के आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (2), (4), (5) और (6) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
3. श्री आशीष वी गवई, अवर सचिव (एन एस ए एवं सी डी एन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, नई दिल्ली को आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (7) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
4. श्री वी. के. राजन, उप सचिव (स्था.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 11.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 11/12/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/कुमारी/सुश्री~~ सत्यनारायण प्रसाद के आवेदन का अंतरण।

*****

इस मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री /~~श्रीमती/सुश्री~~ सत्यनारायण प्रसाद का दिनांक 12-11-2013 का आवेदन ~~द्वारा अंतरण~~ ~~से~~ प्राप्त हुआ है (14-11-2013 को प्राप्त)। चूंकि अपेक्षित सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय/ एन.एम.प्रभाग— नई मंत्रालय/~~विभाग~~ से संबंध रखती है / के कार्यों से निकटता से संबंधित है, अतः आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को आगे सीधे उस प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने रसीद संख्या 27458 दिनांक: 19-11-2013 (प्रति संलग्न) के माध्यम से 10/- रुपए का निर्धारित शुल्क अदा कर दिया है/~~अदा नहीं किया है क्योंकि वह गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से संबंधित हैं।~~

वी.के. राजन
(वी.के. राजन)
उप सचिव (स्था.) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,
(i) अवर सचिव (आर.टी.आई.) (ii) निदेशक (एन.एम.)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली (अनुलग्नक- 8,9,10) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित:

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ सत्यनारायण प्रसाद
प्रिय मार्ट इन्क्लेव
गली नं.- 2, साहिबाबाद (गाजियाबाद) (उ.प्र.)

(उनसे, मामले में आगे की सूचना के लिए ऊपर-उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।)

US (NM-III) 16/12
63/DIR/NM-III/13 16/12/2013
SO(NM-III) 16/12/2013
Sh. Vikas
1301/NM-III 16/12/2013

बच्चों के सफल भविष्य के लिए, विकसित राष्ट्र निर्माण के लिए, नक्सलवाद उन्मूलन के लिए, स्थायी शांति के लिए – जनसंख्या रोकिये।
कुछ लोग भारत की स्वतंत्रता से खफा हैं, वे ही हमारे मिशन जनसंख्या नियंत्रण को सफल नहीं होने दे रहे हैं। व भारत का मर्यादा प्रतीक को स्वार्थवश उपयोग करवा रहे हैं।
प्रमाण है उत्तराखंड प्रलय व फैलिन तुफान – भारत में हो रहा सत्य का अपमान।

सेवा में,

दिनांकः– 12/11/2013

जनसूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

कृपया सूचना दें।

1. 01 जनवरी 2001 से आज तक यानि दिनांक 10 अक्टुबर 2013 तक कितने आम आदमी नक्सलवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं।

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi-1
14 [illegible] 2013
केन्द्रीय सं० 1875
डाक सं०........
सी.आर. अनुभाग/नार्थ ब्लॉक/CR Section/North Block

2. कितने नागरिक आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं?
3. कितने नक्सलवादी मारे गये हैं?
4. कितने आतंकवादी मारे गये हैं?
5. कितने सैनिक राज्य स्तरीय पुलिस (भारत के सभी राज्यों से) शहीद हुए हैं?
6. कितने राजस्व की सरकारी वाहन व सरकारी भवन नष्ट किये गये हैं?
7. 2001 से आज तक यानि दिनांक 10 अक्टुबर 2013 तक केन्द्र स्तरीय आतंकवादी गतिविधियों के शिकार लोगों को कितनी सहायता/मुआवजा राशि वितरित की गयी है?

साथ ही यह भी सूचना दें:–

8. भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर सालाना कितनी राशि व्यय करती है?
9. जनसंख्या नियंत्रण हेतु दी गयी विज्ञापन के लिए भारत सरकार दुरदर्शन को 2011–12 व 2012 – 13 में कितनी राजस्व अदा की थी अथवा किया जाना है?
10. जनसंख्या नियंत्रण हेतु दी गयी विज्ञापन के लिए भारत सरकार अन्य किन किन चैनलों को 2011–12 व 2012 – 13 में कितनी–कितनी राशी अदा की थी अथवा किया जाना है?

नोटः ये सब सरकारी नुकसान हमारे मिशन, मिशन ए पोपुलेशन कंट्रोल" की सर्वप्रिय नीति को भारत सरकार द्वारा नजर अन्दाज करने के कारण हुआ है। हमारा मिशन है नक्सलवादियों के खिलाफ सरकारी कार्यवाही हो, लेकिन नयी नक्सलवाद पैदा न हो इस हेतु भारतीय नागरिकों को राष्ट्रधर्म के तहत पोपुलेशन कंट्रोल की सर्वप्रिय नीति प्रसार को समझाना।

लेकिन भारतीय व्यवस्था राजनीति व्यापार के तहत देश चला रही है। जो मानव जीवन को नष्ट होने पर मुआवजा देती है।

संलग्न हैः रूपये 10 का पोस्टल आर्डर।

एक भारतीय सिर्फ भारतीय

सत्य नारायण प्रसाद